VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(22 January 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 'जन्म से नागरिकता' समाप्त करने का मुद्दा और अमेरिकी भारतीयों पर इसका प्रभाव
- अमेरिका का WHO से अलग होने का फैसला और इसका भारत पर असर
- गृह मंत्रालय ने NGO को बिना FCRA पंजीकरण के विदेशी धन लेने को लेकर चेताया
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 'जन्म से नागरिकता' समाप्त करने का मुद्दा और अमेरिकी भारतीयों पर इसका प्रभाव:

मुद्दा क्या है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को ऊर्जा से लेकर आपराधिक क्षमा और आव्रजन तक के विषयों को कवर करने वाले कई प्रमुख कार्यकारी आदेशों और निर्देशों के साथ अपना कार्यकाल शुरू किया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने गैर-स्थायी निवासियों के बच्चों के लिए स्वचालित जन्म से नागरिकता को समाप्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए।
- उल्लेखनीय है कि स्वचालित जन्म से नागरिकता को समाप्त करने का निर्णय अमेरिकी आव्रजन नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। यह निर्णय अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रहने वाले लाखों भारतीयों को नुकसान पहुंचा सकता है।
- हालांकि इस निर्णय को कानूनी चुनौती मिलने की भी उम्मीद है। क्योंकि आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों के भीतर, 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस कदम को रोकने के लिए मुकदमा दायर किए हैं।

अमेरिका में 'जन्म से नागरिकता' का प्रावधान क्या है?

- 'जन्म से नागरिकता' वह कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे उस देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं जिसमें वे पैदा हुए हैं, भले ही उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता या आव्रजन स्थिति कुछ भी हो।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संविधान में 14वाँ संशोधन - जिसे 1868 में गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था - को लंबे समय से अमेरिकी धरती पर पैदा हुए लगभग सभी बच्चों को नागरिकता देने के रूप में पढ़ा जाता रहा है। इसमें कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति, और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं"।
- 1952 का आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम भी नागरिकों को परिभाषित करता है और इसमें समान भाषा शामिल है।
- हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त किसी विदेशी राजनयिक अधिकारी के घर जन्मे लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।

इस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है?

- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक इस बात पर विचार नहीं किया है कि जन्म से नागरिकता संबंधी प्रावधान अमेरिका में जन्मे उन लोगों के बच्चों पर लागू होता है या नहीं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं।
- जन्म से नागरिकता का मामला 1898 का है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चीन से वैध अप्रवासियों का बेटा 1873 में सैन फ्रांसिस्को में अपने जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिक है।

राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में क्या कहा गया है?

- राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के लागू होने के बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को उनकी सरकार द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक न हो।
- उल्लेखनीय है कि ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की गलत व्याख्या की गई है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि "इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन" होने का क्या अर्थ है।
- राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि "...लेकिन चौदहवें संशोधन की व्याख्या कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए सभी लोगों को सार्वभौमिक

रूप से नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं की गई है। चौदहवें संशोधन ने हमेशा उन लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन "इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे"।

- उल्लेखनीय है कि इस कार्यकारी आदेश का उद्देश्य देश में 'जन्म पर्यटन' की प्रथा को भी समाप्त करना है। जन्म पर्यटन एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करता है, जिसमें एक महिला देश में बच्चे को जन्म देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आती है, जिसे स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है।

अमेरिका में विदेशी जन्मी आबादी का आंकड़ा:

- यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अनुमान के अनुसार, जनवरी 2022 में अमेरिका में अवैध रूप से लगभग 11 मिलियन प्रवासी थे, एक आँकड़ा जिसे अब कुछ विश्लेषक 13 मिलियन से 14 मिलियन तक बताते हैं। उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों को सरकार द्वारा अमेरिका की नागरिकता प्राप्त मानी जाती है।
- वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के 2024 के डेटा के अनुसार, "अमेरिका में विदेशी जन्मी आबादी 2023 में रिकॉर्ड 47.8 मिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 1.6 मिलियन ज्यादा है"।

- प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में, मेक्सिको प्रवासियों के लिए जन्म का शीर्ष देश था, जहाँ लगभग 150,000 लोग थे। भारत (लगभग 145,000) और चीन (लगभग 90,000) अप्रवासियों के अगले सबसे बड़े स्रोत थे।

इस फैसले का भारतीय-अमेरिकियों पर प्रभाव:

- नवीनतम जनगणना के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 लाख से अधिक भारतीय हैं, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1.47% है। दो-तिहाई प्रवासी हैं, जबकि 34% अमेरिका में जन्मे हैं।
- यदि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को लागू किया जाता है, तो अस्थायी कार्य वीजा या पर्यटक वीजा पर देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जन्मे बच्चों को अब स्वचालित रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी।

क्या कार्यकारी आदेश के ज़रिए 'जन्म से नागरिकता' को समाप्त किया जा सकता है?

- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति देता है, और अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेशों का उपयोग करके नागरिकता के नियमों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश नहीं की है।

- हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप जन्मजात नागरिकता को फिर से परिभाषित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं। वह अपनी एजेंसियों को पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज़ और लाभ तब तक रोकने का निर्देश दे सकते हैं जब तक कि व्यक्ति नई आवश्यकता को पूरा न कर ले।
- कोई भी व्यक्ति जिसे दस्तावेज़ या लाभ से वंचित किया गया हो, वह इसे चुनौती दे सकता है और कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कार्यकारी आदेश को अदालतों में तुरंत रोक दिया जाएगा।
- लेकिन यह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की ओर भी ले जाएगा और संभवतः सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करने के लिए मजबूर करेगा कि कौन जन्मजात नागरिकता का हकदार है।
- अगर अदालतों ने फैसला किया कि संविधान जन्मजात नागरिकता की रक्षा करता है, तो केवल एक संविधान संशोधन से ही इसे बदल सकता है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और तीन-चौथाई राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संभवतः वर्षों लग सकते हैं। 1992 के बाद से संविधान में संशोधन नहीं किया गया है।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अमेरिका का WHO से अलग होने का फैसला और इसका भारत पर असर:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
- इस आदेश में WHO से हटने के कारणों में WHO का "कोविड-19 महामारी से गलत तरीके से निपटना", "तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में विफलता", "WHO के सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदर्शित करने में असमर्थता", और "संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान" की निरंतर मांग शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि यह कदम आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल में भी हटने की धमकी दी थी, और 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आधिकारिक तौर पर इस निर्णय के बारे में सूचित किया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) क्या है?

- उल्लेखनीय है कि 1948 में स्थापित, जेनेवा स्थित WHO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को जोड़ती है - ताकि हर कोई, हर जगह स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके।
- WHO सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है। यह स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया को निर्देशित और समन्वित करता है। यह देशों के साथ उनकी स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए काम करता है, साथ ही इसके दिशा-निर्देश सरकारी नीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं।

WHO को लेकर कार्यकारी आदेश क्या कहता है?

- राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश में चार प्रमुख बातें बताई गई है जो WHO से अमेरिका के बाहर निकलने पर होंगी:
  - पहला, WHO को अमेरिकी निधियों और संसाधनों का कोई भी हस्तांतरण रोक दिया जाएगा।

- दूसरा, WHO के साथ किसी भी क्षमता में काम करने वाले सभी अमेरिकी सरकारी कर्मियों या व्यक्तियों को वापस बुलाया जाएगा।
- तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका "विश्वसनीय और पारदर्शी संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की पहचान करेगा जो पहले WHO द्वारा की गई आवश्यक गतिविधियों को संभालेंगे"।
- चौथा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस महामारी संधि के लिए बातचीत बंद कर देगा जिस पर WHO काम कर रहा है। इस संधि का उद्देश्य महामारी का जवाब देने के लिए देशों को बेहतर तरीके से तैयार करना, महामारी होने पर वैश्विक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।

अमेरिका के हटने से वित्तीय निहितार्थ क्या होंगे?

- संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने से WHO पर बहुत बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि एजेंसी को अपने फंड का लगभग पांचवाँ हिस्सा अमेरिका से ही मिलता है, जो यह राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विवाद का एक बिंदु है।
- WHO का वित्तपोषण दो तरीकों से होता है - इसके सभी सदस्य देशों से अनिवार्य योगदान, और विभिन्न देशों और संगठनों से जुटाए गए स्वैच्छिक योगदान। पिछले कुछ वर्षों में, अनिवार्य योगदान स्थिर रहा है और अब संगठन के बजट का 20%

से भी कम कवर करता है। अनिवार्य योगदान में, अमेरिका सबसे बड़ा भुगतानकर्ता है, जो योगदान का 22.5% हिस्सा देता है, उसके बाद चीन 15% के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वैच्छिक योगदान में, जबकि अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा दाता है, जो 2023 में कुल योगदान का लगभग 13% हिस्सा देता है, चीन ने कुल योगदान का केवल लगभग 0.14% हिस्सा दिया। दूसरा सबसे बड़ा स्वैच्छिक योगदानकर्ता बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था।

WHO ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया दी?

- WHO ने अपने एक बयान में कहा कि "विश्व स्वास्थ्य संगठन इस घोषणा पर खेद व्यक्त करता है...WHO अमेरिकियों सहित दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है"।
- WHO के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का संस्थापक सदस्य है और तब से विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड में अपनी सक्रिय भागीदारी सहित 193 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को आकार देने और संचालित करने में भाग लेता रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सदस्य देशों की भागीदारी के साथ, WHO ने पिछले 7 वर्षों में अपने इतिहास में सबसे बड़े सुधारों को लागू किया है, ताकि जवाबदेही, लागत-प्रभावशीलता और प्रभाव को बदला जा सके। यह काम जारी है।

- WHO का मानना है कि अमेरिका पुनर्विचार करेगा और वह दुनिया भर के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए USA और WHO के बीच साझेदारी को बनाए रखने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होने के लिए तत्पर हैं।

भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

- WHO को अपने वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा खोने के कारण, भारत सहित विभिन्न वैश्विक दक्षिण के देशों में इसके काम पर असर पड़ने की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि WHO, भारत सरकार के कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेता है और उनका समर्थन करता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय रोगों, HIV-मलेरिया-तपेदिक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, आदि पर इसका काम। महत्वपूर्ण रूप से, यह देश के टीकाकरण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके अलावा, अमेरिका से विशेषज्ञता के नुकसान से मार्गदर्शन प्रदान करने की WHO की भूमिका पर भी असर पड़ेगा।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे WHO और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के बीच सहयोग भी खत्म हो जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय निगरानी और स्वास्थ्य खतरों पर प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत और वैश्विक दक्षिण की भूमिका क्या होने वाली है?

- विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए शून्य को चीन और भारत के नेतृत्व में वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा भरा जा सकता है। यूरोप एक और दावेदार हो सकता है, लेकिन इसके संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा रूस-यूक्रेन संघर्ष की ओर मोड़ दिया जा रहा है।
- एक प्रसिद्ध वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय नेता और WHO विशेषज्ञ डॉ. अलाकिजा ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी लोगों के लिए समग्र स्वास्थ्य में निवेश करके एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में खुद को शीर्ष पर रखा है। नई वैश्विक व्यवस्था में, हमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की आवाज़ों की ज़रूरत है जो आगे आकर दूसरों को अपने साथ ऊपर खींच सकें"।

गृह मंत्रालय ने NGO को बिना FCRA पंजीकरण के विदेशी धन लेने को लेकर चेताया:

मामला क्या है?

- गृह मंत्रालय ने 21 जनवरी को NGO को चेतावनी दी कि यदि वे FCRA पंजीकरण के बिना या पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद भी विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकृत होना होगा और उन्हें ऐसे धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है।

FCRA, 2010 क्या है?

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) को 1976 में इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन पंप करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं।

- 2010 में UPA सरकार के तहत विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को मजबूत करने" और "राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों" के लिए उनके उपयोग को "रोकने" के लिए एक संशोधित FCRA अधिनियम 2010 लाया गया था।
- वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग पर सरकार तंत्र को सख्त नियंत्रण और जांच की शक्ति मिल गई।

FCRA के प्रमुख तत्व:

- मोटे तौर पर, FCRA के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को:

  (i) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा,

  (ii) भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा, और

  (iii) उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।

- उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भी आवश्यक है, और उन्हें किसी अन्य NGO को धनराशि हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए।
- यह अधिनियम चुनाव के उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।

FCRA पंजीकरण कैसे किया जाता है?

- जो NGO विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- FCRA पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हैं।

FCRA के तहत आवेदक के लिए कुछ शर्तें:

- आवेदक काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए;
- जबरन धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए;

- आवेदक पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो या दोषी नहीं ठहराया गया हो;
- धन के हेराफेरी या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए; और
- राजद्रोह के प्रचार-प्रसार में संलग्न नहीं होना चाहिए।

मंज़ूरी कितने समय के लिए दी जाती है?

- एक बार अनुमति मिलने के बाद, FCRA पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है। गैर सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने की स्थिति में पंजीकरण समाप्त माना जाएगा।

FCRA का महत्व:

- FCRA यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी दान का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, इसका दुरुपयोग या अवैध गतिविधियों में उपयोग न हो।
- यह अधिनियम ऐसे विदेशी योगदानों को रोकता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

- यह धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग की निगरानी तंत्र स्थापित करता है, ताकि जबरन धर्मांतरण की चुनौती से निपटा जा सके।

क्या FCRA के जरिये कुछ NGO को लक्षित किया जा रहा है?

- 2011 तक, भारत में FCRA के तहत 40,000 से अधिक NGO पंजीकृत थे। वह संख्या अब 16,000 के आसपास है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार पर NGO को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने 16,700 से अधिक NGO का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें से 10,000 से अधिक रद्दीकरण 2015 में किए गए थे।
- पिछली UPA सरकार ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की थी। 2012 में, मनमोहन सिंह सरकार ने लगभग 4,000 NGO का पंजीकरण रद्द कर दिया।
- UPA सरकार के तहत ही ग्रीनपीस इंडिया पहली बार सवालों के घेरे में आया था। इसके अलावा, एमनेस्टी इंटरनेशनल को UPA सरकार द्वारा इसके पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी।

MCQs

1. चर्चा में रहे अमेरिका में 'जन्म से नागरिकता के प्रावधान' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अमेरिकी संविधान में 14वाँ संशोधन द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया था।

2. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 'जन्म से नागरिकता' का अधिकार अवैध प्रवासियों के अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को भी है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)

2. अमेरिका संवैधानिक प्रणाली में 'संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

(b) कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और तीन-चौथाई राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

(c) कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और दो-तिहाई राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

(d) कांग्रेस के दोनों सदनों के तीन-चौथाई बहुमत और दो-तिहाई राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है।

Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्तपोषण के प्रक्रिया' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसका वित्तपोषण दो तरीकों से होता है - सभी सदस्य देशों से अनिवार्य योगदान, और विभिन्न देशों और संगठनों से जुटाए गए स्वैच्छिक योगदान।
2. पिछले कुछ वर्षों में, इस संगठन को होने वाला अनिवार्य योगदान स्थिर रहा है और इसके बजट का 20% से भी कम कवर करता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. चर्चा में रहे 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)' को मूल रूप से कब अधिनियमित किया गया?

(a) 2020 में

(b) 2010 में

(c) 1998 में

(d) 1976 में

Ans:(d)

5. चर्चा में रहे 'अमेरिका के WHO से बाहर निकलने के फैसले के प्रभावों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अपने वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा खोने के कारण, विभिन्न वैश्विक दक्षिण के देशों में WHO के काम पर असर पड़ने की संभावना है।

2. अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों की विशेषज्ञता के नुकसान से मार्गदर्शन प्रदान करने की WHO की भूमिका पर भी असर पड़ेगा।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)